भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 906
उत्तर देने की तारीख: 12.12.2022

कक्षा में शैक्षिक तकनीकी उत्पादों के मानक

†906. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसी कक्षा में शैक्षिक तकनीकी उत्पादों का उपयोग किए जाने से पहले उनकी गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;
(ख) सभी शैक्षिक तकनीकी उत्पादों की गुणवत्ता का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है, यदि हां, तो इसमें शामिल समिति/ एजेंसी और इसके बजट अनुदान तथा मानव संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डी/ओ एसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय ने 23.12.2021 को एड-टेक उत्पादों का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतने के संबंध में नागरिकों को एक परामर्शिका जारी की थी। परामर्शिका में एएससीआई कोड्स और मानकों के साथ क्या करें और क्या न करें और ध्यान देने योग्य ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध किया है, जिसका शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक पालन की जा रही पद्धतियों के प्रति जागरूक बनने के लिए पालन कर सकते हैं।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1784582
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भी जुलाई 2020 में डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा पर प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश उन्नत गुणवत्ता वाली ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप या संकेत प्रदान करते हैं। दिशानिर्देशों का अभिगम इस लिंक पर किया जा सकता है: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines0.pdf

*****